कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवा की ढाणी, शाहपुरा, जयपुर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेवा की ढाणी, शाहपुरा, जयपुर में क्रमोन्नति के फलरूवरूप इस कार्यालय के पत्र कमांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–4/25605/2021–22/448 दिनांक 24.01.2022 द्वारा ऑफिस आई.डी. जारी करते हुए पद एवं लेखामद के विस्तृत मद 01–संवेतन में राशि का आवंटन किया गया है ।

मैं बनवारी लाल सर्वा, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय सेवा की ढाणी, शाहपुरा, जयपुर के लिए संस्था प्रधान को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ । समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे तथा विशेष रूप से इन्हे निम्नांकित कार्य करने के लिए अधिकृत करता हूँ :–

1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना ।
2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि का व्यय करना ।
5. वित्तीय नियमों एवं समय –समय पर जारी किये गये आदशों के अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना ।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना ।
7. उचित प्राप्तकर्त्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।
8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे ।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के क्रमांक–2 के तहत इन्हे स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी/कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(बनवारी लाल सर्वा)
वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/सामान्य/कार्यालयाध्यक्ष/2021–22

दिनांक: 22/02/2022

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी /मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष कार्यालय ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर

क्र.स.	विद्यालय का नाम	आहरण एवं वितरण अधिकारी नाम/विद्यालय	कोष/उपकोष
1	प्रधानाध्यापक,रामावि फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर, अजमेर	श्रीमति अर्चना पाटनी,प्रधानाचार्य,महात्मा गॉधी राजकीय विद्यालय फतेहपुरिया दोयम, ब्यावर	ब्यावर
2	प्रधानाध्यापक,रामावि अरणी नाडी, मंगल नगर, लूणी, जोधपुर	श्री मांगीलाल बिश्नोई,व्याख्याता,राउमावि गुड़ा बिश्नोईयांन, लूणी, जोधपुर	लूणी
3	प्रधानाचार्य,राउमावि आसन, बांसवाड़ा	श्री हरिश चन्द्र स्वर्णकार,व्याख्याता,राउमावि आसन, बांसवाड़ा	गढ़ी
4	प्रधानाचार्य,राउमावि खोहरा मलावली, लक्ष्मणगढ़, अलवर	श्री सत्यपाल अवस्थी,व्याख्याता,राउमावि खोहरा मलावली, लक्ष्मणगढ़, अलवर	लक्ष्मणगढ़
5	प्रधानाध्यापक,रामावि कलरों की ढाणी, सांकड़ा, पोकरण, जैसलमेर	श्री दामोदर हींगड़ा,व्याख्याता,राउमावि जालोड़ा, पोकरण, जैसलमेर	पोकरण

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राज.
बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/माध्य/स्थिरी–स/34180/2020–21 दिनांक :– 22.02.2022

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राज. जयपुर
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान
4. सम्बन्धित कोष/उपकोष
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,राज.
बीकानेर